HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4906/2018
CNR: RJHC020940632018 | URN: CMA / 7642U / 2018

Mukesh Son of Barma, Aged About 25 Years, R/o Village Beekaran Police Station & Tehsil Hindauli, District Bundi (Raj.).

----Appellant/Claimant

Versus

1. Om Prakash Son of Pannalal, Aged About 23 Years, R/o Village Beekaran, Police Station Hindauli District Bundi (Raj.) (Vehicle Driver)
2. Kaluram Son of Bhoora, R/o Village Bheemganj, Police Station Hindauli District Bundi (Raj.) (Owner Of Vehicle)
3. National Insurance Co. Ltd., Through Branch Manager, Branch Office Bundi, Top Khana Circle, Bypass Road, Near Petrol Pump, Bundi (Raj.) (Insurance Policy No. 370801/47/24/9700000663 Insurance Period From Dt. 25.06.2013 To 24.06.2014)

----Respondent/Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Sanjay Sharma, Adv. with Mr. C.L. Meena, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. V.P. Mathur, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

DATE OF CONCLUSION OF ARGUMENTS	**::**	**06/07/2026**
DATE OF RESERVED	**::**	**06/07/2026**
FULL/OPERATIVE PART PRONOUNCED	**::**	**FULL**
DATE OF PRONOUNCEMENT	**::**	**13/08/2026**

1. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम–1, बून्दी (राज.)** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–05/2014, बउनवान मुकेश बनाम ओम**

प्रकाश व अन्य में पारित **निर्णय दिनांक 24.05.2018** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी **मुकेश** द्वारा दिनांक 02.07.2013 को मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 25,00,000/– रुपये** क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त क्लेम याचिका को खारिज किया गया है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा इस आधार पर क्लेम याचिका खारिज की गई है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 21 दिन विलम्ब से दर्ज करवाई गई है, जबकि घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिस कारण अपीलार्थी करीब 20 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहा था, जिस पर अपीलार्थी के पिता उसके इलाज में व्यस्त थे, इस कारण पहले अपीलार्थी के इलाज को प्राथमिकता देते हुए घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद में दर्ज करवाई गई है। चिकित्सक द्वारा अपीलार्थी के डिस्चार्ज टिकट में यह नहीं लिखा गया है कि अपीलार्थी को जो चोटें कारित हुई हैं, वे रोड ट्रेफिक एक्सीडेंट में आई हों तथा मेडिकल रिपोर्ट भी घटना के दिन की नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि मामले की घटना ट्रेक्टर संख्या आरजे–08–आरए–8703 (जिसे आगे 'प्रश्नगत वाहन' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के चालक की लापरवाही के कारण घटित हुई थी, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन की कोई लिप्तता होना नहीं मानते हुए त्रुटि कारित की गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि दुर्घटना के मामलों में साक्ष्य की बाहुल्यता (preponderance of evidence) के आधार पर निर्णय किया जाता है। मामले में स्वयं पीड़ित गवाह ए.डब्ल्यू–1 के रूप में विद्वान अधिकरण के समक्ष परीक्षित हुआ हैं, जिसने सम्पूर्ण अभियोजन कहानी का समर्थन किया है। वाहन स्वामी ने धारा 133 मोटरयान

अधिनियम के नोटिस में यह स्वीकार किया है कि वक्त घटना उसके वाहन को चालक ओम प्रकाश चला रहा था तथा वाहन चालक के विरुद्ध आरोप पत्र भी न्यायालय में पेश किया गया है, जिसमें वाहन चालक की गलती मानी गयी है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा क्लेम याचिका खारिज कर त्रुटि कारित की गई है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया गया :–

- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों **Ravi vs. Badrinarayan & Ors.** reported in **2011 (4) SCC 693** एवं **Ranjeet & Anr. vs. Abdul Kayam Neb & Anr.** reported in **2025 SCC OnLine SC 497.**
- राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Mahadev Prasad vs Vijay Pal @ Jagan & Anr.** reported in **III (2006) ACC 388.**
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **K. Rajani & Ors. vs. M. Satyanarayana Goud & Anr.** reported in **2014 Supreme (AP) 1098.**

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा व्यक्त किया कि विद्वान अधिकरण द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का अवलोकन कर सही रूप से निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है, मामले की घटना में प्रश्नगत वाहन को मिथ्या लिप्त किया गया है तथा अपीलार्थी, वाहन चालक व स्वामी आपस में काका, भाई हैं व एक ही गांव के हैं, जिन्होंने मिलीभगत कर यह झूठा क्लेम पेश किया है। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका को इस आधार पर खारिज किया गया है कि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट 21 दिवस विलम्ब से दर्ज करवाई गई है तथा प्रश्नगत वाहन की लिप्तता दुर्घटना में नहीं रही है व प्रश्नगत वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है तथा चिकित्सक द्वारा अपीलार्थी के डिस्चार्ज टिकट में यह नहीं लिखा गया है कि अपीलार्थी को जो चोटें कारित हुई हैं, वे रोड ट्रेफिक एक्सीडेंट में आई हों तथा मेडिकल रिपोर्ट भी घटना के दिन की नहीं है तथा आहत, चालक व स्वामी तीनों आपस में रिश्तेदार है व एक ही गाँव के रहने वाले हैं।

7. जहां तक मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट 21 दिवस विलम्ब से दर्ज करवाये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 02.07.2013 की बताई गई है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 दिनांक 01.08.2013 को दर्ज करवाई गई है जो अपीलार्थी के पिता द्वारा दर्ज करवाई गई है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी के पिता द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मामले की घटना में उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिस कारण उसका पुत्र करीब 20 दिवस तक अस्पताल में भर्ती रहा तथा वह अपने पुत्र के इलाज में व्यस्त था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य,** रिपोर्टेड इन **(2011) 4 एस.सी.सी. 693** के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाये जाने के तथ्य को क्लेम याचिका के लिए घातक नहीं माना गया है। लेकिन इस मामले में विशिष्ठ तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/आहत गांव बीकरण का रहने वाला है तथा प्रश्नगत वाहन का चालक ओम प्रकाश भी बीकरण गांव का ही रहने वाला है और प्रश्नगत वाहन चालक व अपीलार्थी/आहत आपस में काका, भाई हैं और अपीलार्थी का जो डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श–16 पत्रावली पर संलग्न है, उसके अनुसार अपीलार्थी दिनांक 02.07.2013 को ज्योति किरण हॉस्पिटल, टोंक में भर्ती हुआ है, जहां से अपीलार्थी को दिनांक 06.07.2013 को डिस्चार्ज किया गया है, उसके उपरांत अपीलार्थी अन्य किसी अस्पताल में भर्ती रहा हो, ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार जब अपीलार्थी को

दिनांक 06.07.2013 को ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था तो अपीलार्थी की ओर से दिनांक 01.08.2013 को रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज क्यों करवाई गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जबकि दुर्घटना कारित करने वाला प्रश्नगत वाहन चालक व अपीलार्थी काका, भाई हैं और दोनों एक ही गांव के रहने वाले होने के कारण पूर्व से भलीभांति परिचित है। इस संबंध में अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष हुए बयान में प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अप्रार्थी संख्या–1 ओम प्रकाश उसका भाई लगता है, जो उसके काका का लड़का है। इसी प्रकार अपीलार्थी के चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श–7 के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि उक्त चोट प्रतिवेदन प्रपत्र दिनांक 05.08.2013 को बनाया गया है, जबकि घटना दिनांक 02.07.2013 की बताई गई है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में यह निष्कर्ष दिया गया है कि *''इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय में परिवाद के रूप में करीब 22 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। उसे कारित चोटें घटना के पांच दिन बाद ही अस्पताल से छूट्टी मिल जाने व उसके पश्चात् तत्काल रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु पर्याप्त मानवीय सहायता उपलब्ध होने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज करवाने में हुआ विलम्ब, रिपोर्ट में ट्रेक्टर चालक व ट्रेक्टर मालिक के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्रकट नहीं किये जाने (विशेषकर जबकि चालक व मालिक दोनों उसके निकट रिश्तेदार रहे हैं), परिवाद विलम्ब से किये जाने बाबत् कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने, प्रार्थी के विभिन्न चिकित्सकीय दस्तावेजात में यह चोटें दुर्घटना के परिणामस्वरूप कारित होने का कोई उल्लेख नहीं होना, इन सभी परिस्थितियों में स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा केवल क्लेम प्रार्थना–पत्र के माध्यम से सहायता राशि प्राप्त करने के आशय से अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बीमित ट्रेक्टर संख्या–आरजे–08–आरए–8703 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित किये जाने का तथ्य बताते हुए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के मध्य दुरभि संधि को प्रकट करता है और प्रार्थी मुकेश व साथी सूरजमल दोनों के ही बयान किसी भी प्रकार से विश्वसनीय*

प्रतीत नहीं होने से यह दुर्घटना अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा ट्रेक्टर संख्या–आरजे–08–आरए–8703 को तेज गति व असावधानी से कारित की गई हो और इस घटना के परिणामस्वरूप आहत मुकेश को चोटें कारित हुई हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अतः यह विवाद्यक प्रार्थी के विरुद्ध विनिश्चत किया जाता है।'' अतः उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

8. उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में कोई सार नहीं होने से उपरोक्त अपील बलहीन व सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2018 की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

10. तदनुसार यह अपील निरस्त की जाती है।

11. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निरस्त किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ/----